अपील सूचना अधिकार संख्या 120/2016 अनवानी याकुबअली पुत्र मोहम्मद अली जाति कायमखानी निवासी वार्ड न0 09, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ बनाम अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन), श्रीगंगानगर

120/2016
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

21–03–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी श्री याकुब अली उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री याकुब अली ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलाधीश (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

> आपके कार्यालय के द्वारा जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 29.06.1983 को भेजे गये स्थगन आदेश बअनवानी रामसिंह वल्द नारायणसिंह निवासी झिलोदा तहसील भादरा को जिला पुर्नवास अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 20.04.1983 की कियान्विती स्थगित कर मौके की यथास्थिति दिनांक 28.07.1983 तक बनाये रखने का आपके कार्यालय से आदेश जारी किया गया था। उक्त स्थगन आदेश आपके द्वारा जिस स्थगन आवेदन पत्र पर पारित किया गया है, उक्त स्थगन आवेदन पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 23.05.2016 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर द्वारा अपने प्रतिवेदन सं0 1719 दिनांक 21.07.16 द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी के आवेदन पत्र की प्रति प्रभारी अधिकारी, रिकार्ड शाखा, कलक्ट्रेट्रश्रीगंगानगर को पत्र दि0 20.06.2016 के द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवाई गई। जिस पर प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा ने अपने पत्र दिनांक 30.06.16 व 23.08.16 के द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना के संबंध में स्पष्ट आवेदन पूर्ण विवरण सहित करने के लिए लिखा गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो, स्पष्ट हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा द्वारा पत्र दिनांक 30.06.16 एवं 23.0816 के द्वारा सूचना से संबंधित अभिलेख का चाहा गया स्पष्ट विवरण अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध नही करवाया गया है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए न्याय हित में लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी चाही गई सूचना के संबंध में अभिलेख का विवरण उपलब्ध करवा दे तो उसके द्वारा चाही गई सूचना अभिलेख में उपलब्ध हो तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

704-05
31/3/17

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर